3. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा विन्रम मत है कि अपील अपीलाण्ट बखूबी साबित होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिवंगज द्वारा राजस्व वाद संख्या 04/2014 अनवान नारायणलाल व अन्य बनाम शंकरलाल व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.06.2016 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 08, 13, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल के संगत विधिक प्रावधानों में विहित आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण विधि अनुरूप पुनः निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2025 को न्यायालय सहायक कलक्टर, शिवंगज में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

प्रमाणित प्रतिलिपि
न्यायालय, राजस्व अपील अधिकारी
पाली